न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

जरव आवेदन संख्या 101/2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
धर्माराम पुत्र जालाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।		1. उत्मा पुत्र डूंगरसिंह उम्र 45 वर्ष 2. गुमानसिंह पुत्र डूंगरसिंह उम्र 47 वर्ष 3. पेम्पोंदेवी पत्नी डूंगरसिंह उम्र 75 वर्ष 4. बलदेवसिंह पुत्र डूंगरसिंह उम्र 40 वर्ष 5. बाबुसिंह पुत्र डूंगरसिंह उम्र 50 6. इन्द्रकंवर पत्नी बलवन्तसिंह उम्र 40 वर्ष जाति राजपूत 7. ओमाराम पुत्र करनाराम उम्र 42 वर्ष 8. कदनोदेवी पत्नी करनाराम उम्र 55 वर्ष 9. दुदाराम पुत्र करनाराम उम्र 38 10. सांवलाराम पुत्र करनाराम उम्र 35 वर्ष जाति कलबी 11. गीता पत्नी चुनीलाल उम्र 50 वर्ष 12. जमनादेवी पत्नी गोरधनराम उम्र 55 वर्ष 13. भीखाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 40 वर्ष जाति देशान्तरी 14. शान्ती पत्नी हुसैनखां उम्र 50 वर्ष जाति मोयला निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी 15. तहसीलदार सिणधरी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने मेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक –15.05.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम पायला खुर्द में खसरा संख्या 283/2 रकबा 5.4041 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम पायला खुर्द में खसरा संख्या 283/2 रकबा 5.4041 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम पायला खुर्द में खसरा संख्या 283/2 रकबा 5.4041 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम नया खसरंटिया में खसरा संख्या 276/200 रकबा 3.6485 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम पायला खुर्द में खसरा संख्या 283/2 रकबा 5.4041 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का दन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम पायला खुर्द में खसरा संख्या 283/2 रकबा 5.4041 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:24 IST
Reason: SelfAttested